

पत्र सं०- जनसूचना-शासन-अ [REDACTED] /2019-20 /

83

प्रेषक,

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(जनसूचना अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 09 जून, 2020

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/ प्रथम अपीलों को ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु विकसित वेब पोर्टल के दिनांक 01 जुलाई, 2019 से आरम्भ होने के पश्चात् विभागों में ऑफलाईन के माध्यम से आवेदनों / प्रथम अपीलों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, राज्य कर अनुभाग-3, 30प्र0 शासन के पत्र संख्या-512/11-3-2020 दिनांक 05.06.2020 (छायाप्रति संलग्न) के साथ संलग्न प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, 30प्र0 शासन के पत्र संख्या- 78/43-2-2020 दिनांक 01.06.2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभाग तथा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकरणों में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2019 से दिनांक 31.05.2020 तक ऑफलाईन के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों/ प्रथम अपीलों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

अतः आपके जोन में तैनात समस्त जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों/ प्रथम अपीलों (दिनांक 01.07.2019 से दिनांक 31.05.2020 तक ऑफलाईन के माध्यम से प्राप्त) का विवरण निर्धारित प्रारूप में जोन की संकलित सूचना मेल ctpihqlu-up@gov.in पर दिनांक 10.06.2020 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(पी0एन0यादव)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (जनसूचना)/जनसूचना अधिकारी
वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ ।

पृ0प0 संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर अपलोड करने हेतु ।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (जनसूचना)/जनसूचना अधिकारी
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ ।

प्रेषक,

नीरजा कुरील,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ०प्र०, लखनऊ।
2. निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

राज्य कर अनु०-3

लखनऊ: दिनांक : 05 जून, 2020

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु विकसित वेब पोर्टल के दिनांक 01 जुलाई, 2019 से आरम्भ होने के पश्चात् विभागों में ऑफलाइन के माध्यम से आवेदनों/प्रथम अपीलों का विवरण उपलब्ध कराया जाना।

महोदय

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के पत्र संख्या-78/43-2-2020, दिनांक 01.06.2020 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में की गई अपेक्षानुसार निर्धारित प्रारूप पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु विकसित वेब पोर्टल के दिनांक 01 जुलाई, 2019 से आरम्भ होने के पश्चात् विभाग में ऑफलाइन के माध्यम से कितने आवेदन/प्रथम अपील प्राप्त हुई का विवरण शासन को दिनांक 05.06.2020 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

Add. Com. (प्रशा०)

✱

कमिश्नर

05.06.2020

भवदीया,

(नीरजा कुरील)
संयुक्त सचिव।

223

जानकारी (संलग्नक)

ACCT

ACCT (AD)
05-6-2020

50

प्राप्त पत्रांक..... 01
दिनांक..... 09.06.2020
पदनाम..... अरुण


ज्वा०के०/डी०पी०/कमि०/असि०कनि०,
(पी०आई०ओ०)

512
संख्या-~~439~~(1)/11-3-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि समस्त अनुभाग अधिकारी, राज्य कर विभाग को प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के पत्र संख्या-78/43-2-2020, दिनांक 01.06.2020 की छायाप्रति संलग्न करते हुए इस आशय से प्रेषित की कृपया उक्त पत्र में की गई अपेक्षानुसार अपने अनुभाग से संबंधित सूचना निर्धारित प्रारूप में दिनांक 05.06.2020 तक राज्य कर अनुभाग-3 अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्नकः यथोक्त।

आज्ञा से ,



(नीरजा कुरील)
संयुक्त सचिव।



5/2/11-2-20

सर्वोच्च / प्राथमिकता
संख्या- 78 / 43-2-2020

प्रेषक,
जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,
समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उ०प्र० शासन।

8/3

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: ०१ जूलाई, 2020

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु विकसित वेब पोर्टल के दिनांक 01 जुलाई, 2019 से आरम्भ होने के पश्चात विभागों में ऑफलाइन के माध्यम से आवेदनों/प्रथम अपीलों का विवरण उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिकों हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त किये जाने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है। वेब पोर्टल दिनांक 01 जुलाई, 2019 से ऑनलाइन आवेदनों/प्रथम अपील किये जाने हेतु उपलब्ध हो गया है।

2- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 01 जुलाई, 2019 से वेब पोर्टल आरम्भ होने के पश्चात विभागों में ऑफलाइन के माध्यम से कितने आवेदन/प्रथम अपील प्राप्त हुई

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 01 सप्ताह के अन्दर अपने विभाग तथा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकरणों में दिनांक 01 जुलाई, 2019 के पश्चात ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों का विभागवार संकलित विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि मा० मुख्यमंत्री जी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

क्र०सं०	विभाग का नाम	सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2019 से 31.05.2020 तक ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों का विवरण (ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों को छोड़कर)	सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2019 से 31.05.2020 तक ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रथम अपीलों का विवरण (ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रथम अपीलों को छोड़कर)

र/उ०प्र० अ०-3

03/06/20
(निरंजना कुशील)
संयुक्त सचिव
राज्य कर विभाग
उ० प्र० शासन।

भवदीय,
जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

03/06/20

03/06/20